रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 116] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 20, 2019/ फाल्गुन 1, 1940
No. 116] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 20, 2019/PHALGUNA 1, 1940

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2019

सा.का.नि. 132(अ).—कृषि उपज (किशमिश श्रेणीकरण और चिह्नांकन) नियम, 2019 का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाने का विचार है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके इस अधिसूचना से प्रभावित होने की संभावना है, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिस तारीख को भारत के राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा।

2. आक्षेपों और सुझावों पर जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से ऊपर कथित अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त होते हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

3. उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता है, वह कृषि एवं विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, सी.जी.ओ., काम्पलेक्स, एन.एच.-IV, फरीदाबाद (हरियाणा)-121001 को भेज सकता है।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि उपज, (किशमिश श्रेणीकरण और चिह्नांकन) नियम , 2019 है।

2. ये वाइटिस विनिफेरा एल. की विशेषताओं की अनुरूपता वाली किस्मों के ठोस शुष्क अंगूरों (लेकिन कुर्रेंट प्रकारों को छोड़कर) से प्राप्त किशमिश (बीज रहित और बीज सहित) जिसे कोटिंग अथवा बिना कोटिंग किए हुए उपयुक्त वैकल्पिक संघटकों सहित विपणन योग्य किशमिश के रूप में उपयुक्त ढंग से संसाधित किया गया हो, पर लागू होंगे ।

(3) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 परिभाषाएं .- (1) इन नियमों में जब तक संदर्भ की आवश्यकता न हो,-

(क) ''कृषि विपणन सलाहकार" से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है ।

(ख) ''प्राधिकृत पैकर" से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जिसे इन नियमों के अधीन श्रेणी मानकों और विहित प्रक्रिया के अनुसार किशमिश का श्रेणीकरण करने और उसे चिह्नांकित करने के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र अनुदत्त किया गया हो ;

(ग) ''प्राधिकार प्रमाण पत्र " से साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के उपबंधों के अधीन जारी प्रमाण पत्र अभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा किशमिश के श्रेणीकरण और चिह्नांकन का प्राधिकार देता है ;

(घ) "साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम" से कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम 1937 (1937 का 1) की धारा 3 के अधीन बनाए गए साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 अभिप्रेत है ;

(ड) श्रेणी अभिधान चिह्न से नियम 5 में प्रति निर्दिष्ट "एगमार्क प्रतीक" अभिप्रेत है ;

(च) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और पद, जो परिभाषित नहीं हैं लेकिन जिन्हें कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकण) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) और साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 में परिभाषित किया गया है, के वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में हैं।

3. श्रेणी अभिधान:- किशमिश की क्वालिटी उपदर्शित करने के लिए श्रेणी अभिधान वह होगा जो अनुसूची-II और III के श्रेणी अभिधान से संबंधित मापदंड के कॉलम एक में निर्धारित किया गया होगा।

4. क्वालिटी:- इन नियमों के प्रयोजन के लिए किशमिश की क्वालिटी अनुसूची II और III में दिए गए अनुसार होगी ।

5. श्रेणी अभिधान चिह्न :- श्रेणी अभिधान चिह्न में प्राधिकार प्रमाण-पत्र संख्या, "एगमार्क" शब्द, वस्तु का नाम और अनुसूची-I में यथारूप से दिए गए सदृश्य श्रेणी अभिधान को सम्मिलित करने वाले डिजाइन से मिलकर बन "एगमार्क प्रतीक" होगा ।

6. पैकिंग करने की विधि : (क) किशमिश (शुष्क अंगूर) की पैकिंग नए स्वच्छ और शुष्क जूट के थैलों, कागज के थैलों, कपड़े के थैलों, पॉलीवोवन थैलों जिनकी आंतरिक लाइनिंग फूड ग्रेड सामग्री की होगी या किसी भी बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग सामग्री या फूड् ग्रेड के पॉली थैलों या अन्य किसी पैकिंग सामग्री में की जाएगी जो कृषि विपणन सलाहकार या उसकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई हो।

(ख) पैकेजिंग सामग्री कीट और फफूंदी के प्रभाव से मुक्त होगी और इससे उत्पाद में किसी विषाक्त पदार्थ का असर नहीं आना चाहिए या उसमें अवांछित गंध नहीं आनी चाहिए ।

(ग) किशमिश की पैकिंग विधिक माप विज्ञान (पैक की गई वस्तुएं) नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित पैक आकारों में या कृषि विपणन सलाहकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार की जाएगी।

(घ) सामान लॉट/ बैच और ग्रेड के छोटे पैक आकारों की श्रेणीकृत सामग्री की पैकिंग एक मास्टर कंटेनर में की जाएगी और उस पर श्रेणी अभिधान चिह्न सहित पूरा ब्यौरा अंकित किया जाएगा

(ड) प्रत्येक पैकेज में समान प्रकार की और समान श्रेणी अभिधान की किशमिश होगी ।

(च) प्रत्येक पैकेज उचित और सुरक्षित रूप से बंद और मुहरबंद किया जाएगा, ताकि उसकी सामग्री बाहर न फैल सके।

7. चिह्नांकन की पद्धति :

(i) श्रेणी अभिधान चिह्न प्रत्येक पैकेज पर कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति से साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम 1988 के नियम 11 के अनुसार सुरक्षित रूप से चिपकाया या मुद्रित किया जाएगा ।

(ii) श्रेणी अभिधान चिह्न के अतिरिक्त प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखत विवरण स्पष्ट रूप से और अमिट रूप से अंकित किया जाएगा :-

(क) वस्तु का नाम

(ख) श्रेणी

(ग) किस्म अथवा ट्रेड नाम (वैकल्पिक)

(घ) लॉट नबंर

(ड) पैकिंग की तारीख

(च) पैकिंग का स्थान

(छ) शुद्ध भार

(ज) पैकर का नाम और पता

(झ) अधिकतम खुदरा मूल्य (सभी करों सहित) ।

(ञ) .....माह.....वर्ष के पूर्व उपयोग हेतु सर्वोत्तम

(ट) कोई अन्य विवरण जो विधिक माप विज्ञान (पैकेज की गई वस्तुएं) नियम, 2011, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत या कृषि विपणन सलाहकार द्वारा अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी अनुदेशों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया हो ।

(iii) पैकेजों पर चिह्नांकन के लिए प्रयोग की गई स्याही से किशमिश संदूषित नहीं होगी ;

(iv) प्राधिकृत पैकर कृषि विपणन सलाहकार इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात श्रेणीकृत पैकेजों पर अपना प्राइवेट व्यापार चिह्न या व्यापार ब्रांड चिह्नांकित करेगा परंतु वह इन नियमों के अनुसार श्रेणीकृत पैकेजों पर लगाए श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा उप्रदर्शित क्वालिटी से भिन्न क्वालिटी उपदर्शित नहीं करेगा ।

8. प्राधिकार प्रमाण पत्र की विशेष शर्तें : (i) साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम 1988 के नियम 3 के उपनियम (8) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त प्रत्येक प्राधिकृत पैकर कृषि विपणन सलाहकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सभी शर्तों का पालन करेगा :-

(ii) किशमिश की क्वालिटी का परीक्षण करने के लिए प्राधिकृत पैकर निर्धारित मापदंडों के अनुसार या तो अपनी स्वयं की प्रयोगशाला स्थापित करेगा या किसी अनुमोदित राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशाला या सहकारी अथवा एसोसिएशन प्रयोगशाला या ऐसी प्राइवेट वाणिज्य प्रयोगशाला के साथ संपर्क करेगा जिसका प्रबंधन सामान्य श्रेणीकरण चिह्नांकन नियम के अनुसार 9 के नियम 1988 कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित क्वालिफाईड रसायनज्ञ द्वारा किया जा रहा हो।

(iii) परिसरों को को समुचित संवातन और प्रकाश सहित स्वास्थ्यप्रद और स्वच्छाता की दशाओं में रखा जाएगा और इन कार्यों में लगे हुए कार्मिकों का अच्छा स्वास्थ्य होगा और वे किसी संचारी संसर्गी या संक्रामक रोग से मुक्त होंगे। ,

(iv) परिसर में पक्के फर्श सहित पर्याप्त भंडारण सुविधाएं होंगी और वह कृंतक और कीटों के उत्पीड़न से मुक्त होंगा ।

(v) प्राधिकृत पैकर और अनुमोदित रसायनज्ञ, परीक्षण, श्रेणीकरण, पैकिंग, चिह्नांकन, सीलिंग और अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित ऐसे सभी अनुदेशों का पालन करेगा जो कृषि विपणन सलाहकार द्वारा या इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएगें ।

अनुसूची-1

(नियम 5 देखें)

(एगमार्क प्रतीक का डिजाइन)

वस्तु का नाम .....

श्रेणी .....

अनुसूची –II

(नियम 3 और 4 देखें)

बीज रहित किशमिश (शुष्क अंगूर) का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी

1. बीज रहित किशमिश वाइटिस विनिफेरा एल. की विशेषताओं की अनुरूपता वाली किस्मों के ठोस शुष्क अंगूरों (प्राकृतिक रूप से बीज रहित) से प्राप्त की जाएगी जिसे मानव खपत हेतु उपयुक्त रूप से उपचारित अथवा संसाधित किया गया हो,

2. न्यूनतम अपेक्षाएं :

(i) बीज रहित किशमिश:-

(क) बाह्य पदार्थ जैसे पत्थर, धूल, मिट्टी आदि से मुक्त होगी ;

(ख) किसी विजातीय स्वाद, गंध और खमीरीकरण के प्रभाव से मुक्त होगी ;

(ग) स्वाद और जायका रूचिकर होगा ;

(घ) जीवित, मृत कीटों, कीटों के टुकड़ों, कुटकी, कृंतक संदूषण तथा भुकड़ी से मुक्त होगी ;

(ड़) योजक रंजक पदार्थ, विषैले पदार्थों के अधिमिश्रण से मुक्त होगी और समान रंग की होगी ;

(च) उचित रूप से साफ की हुई और धुली हुई होगी ;

(छ) कलस्टर किशमिश तने के प्रतिरूप के अलावा अपने मूल तने से जुड़ी होनी चाहिए।

(ii) किशमिश की ब्लीचिंग सल्फर डाइ-ऑक्साइड से की जाएगी लेकिन बलीच किए गए उत्पाद में SO_2 की मात्रा 750 पीपीएम से अधिक नहीं होगी ।

(iii) किशमिश की कोटिंग एक या एक से अधिक संघटकों जैसे खाद्य वनस्पति तेल (मुक्त बहने वली किशमिश की अनुमति देने के लिए), सूक्रोन, इन्वर्ट शूगर, डेक्सट्रोज, शुष्क ग्लूकोज सिरप और शहद, जो भी उत्पाद के लिए उपयुक्त हो, के साथ की जाएगी।

(iv) घरेलू व्यापार के मामले में यह धातु संदूषण, कीट नाशी जीवों और नाशकजीवमारों, संदूषण सूक्ष्म अपेक्षाओं, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाले विषैले पदार्थों के अवशिष्ट स्तर के संबंध में निर्बंधनों और खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, जीव-विष और अपशिष्ट) विनियम 2011 और खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य मिश्रण) विनियम, 2011 और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन अधिसूचित अन्य विनियमों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी।

(v) निर्यात के मामले में यह भारी धातुओं, कीटनाशी जीवों की अपशिष्ट सीमाओं और कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग द्वारा अधिकथित अन्य खाद्य सुरक्षा मापदंडों या आयातकर्ता देश की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी।

3 बीज रहित किशमिश के श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड

अभिधान	परिमात्रा के आधार पर नमी का प्रतिशत (अधिकतम)	तने के टुकड़े/ कि.ग्राम (अधिकतम)	कैप-स्टेप/ 500 ग्राम (अधिकतम)	वजन के आधार पर अपरिपक्व किशमिश का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के आधार पर क्षतिग्रस्त किशमिश(शुष्क अंगूर) (अधिकतम)	वजन के आधार पर शुगर युक्त किशमिश (शुष्क अंगूर (अधिकतम)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
विशेष	13.0	अनुपस्थित	20	2	1.0	5.0
मानक	14.0	2	40	4	1.5	10.0
साधारण	15.0	4	50	6	2.0	15.0

4. अन्य अपेक्षाएँ (1) बीज रहित किशमिश की स्थिति ऐसी होगी कि वह -

(i) अपने गंतव्य स्थान पर संतोष जनक ढंग से पहुंचने के लिए यातायात और हैंडलिंग आदि की स्थिति का सामना सके।

(ii) बीज रहित किशमिश का भंडारण शुष्क और ठंडे स्थान पर किया जाएगा तथा साथ ही इसे स्वच्छ और स्वास्थ्यपरक दशा में रखा जाएगा।

स्पष्टीकरण .-

(क) तने का टुकड़ाः- शाखा का भाग या मुख्य तना

(ख) कैप-तनाः- 3 मी. मी. से अधिक लम्बाई वाला छोटा काष्ठकीय तना जो अंगूर को गुच्छे की शाखा के साथ जोड़ता है, चाहे वे किशमिश से जुड़ा हो अथवा न जुड़ा हो।

(ग) अपरिपक्व या अविकसित किशमिशः- का अभिप्राय ऐसी किशमिश से है -

(i) जो अत्यधिक हल्के वजन की रसभरी होती है, शुगरी टिशु कम होते हैं जिससे वह अविकसित दिखाई देती हैं

(ii) पूरी तरह कुम्हलाई हुई और वस्तुतः गूदा रहित होती हैं, और सख्त हो सकती हैं।

(घ) क्षतिग्रस्त किशमिश - सूर्य की झुलसन, दाग-धब्बों, यांत्रिक चोट से प्रभावित किशमिश जिससे उसका रूप रंग, खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षित रखने की गुणवत्ता और उसे गंभीर रूप से प्रभावित होती है।

(ड़) शुगर युक्त किशमिश- बाहर से अथवा अंदर से शुगर क्रिस्टल युक्त किशमिश । ये क्रिस्टल्स स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं और किशमिश के रूप-रंग को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं।

अनुसूची –III

(नियम 3 और 4 देखें)

बीज सहित किशमिश (शुष्क अंगूर) का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी

1. बीज सहित किशमिश को वाइटिस विनिफेरा एल. की विशेषताओं की अनुरूपता वाली किस्मों के ठोस शुष्क अंगूरों (जिनके बीज संसाधन प्रक्रिया के दौरान निकाले अथवा न निकाले गए हो) जिन्हें मानव खपत के लिए उपयुक्त रूप से उपचारित अथवा संशोधित किया गया हो, से प्राप्त किया जाएगा।

न्यूनतम अपेक्षाएँ

(i) बीज सहित किशमिश :-

(क) बाह्य पदार्थ जैसे पत्थर, धूल, मिट्टी आदि से मुक्त होगी ;

(ख) किसी विजातीय स्वाद, गंध और खमीरीकरण के प्रभाव से मुक्त होगी ;

(ग) स्वाद और जायका रूचिकर होगी ;

(घ) जीवित, मृत कीटों, के टुकड़ों, कुटकी कृंतक संदूषण तथा भुकड़ी से मुक्त होगी ;

(ड़) किसी योजक रंजक पदार्थ से मुक्त होगी और एक सामान रंग की होगी ;

(च) उचित रूप से साफ और धुली हुई होगी ;

(छ) कलस्टर किशमिश के प्रतिरूप के अलावा अपने मूल तने से जुड़ी होगी ।

(ii) किशमिश की ब्लीचिंग सल्फर डाइ-ऑक्साइड से की जाएगी लेकिन बलीच किए गए उत्पाद में SO_2 की मात्रा 750 पीपीएम से अधिक नहीं होगी ।

(iii) किशमिश की कोटिंग एक या एक से अधिक संघटकों जैसे खाद्य वनस्पति तेल (मुक्त बहने वली किशमिश की अनुमति देने के लिए), सूक्रोस, इन्वर्ट शूगर, डेक्सट्रोज, शुष्क ग्लूकोज सिरप और शहद, जो भी उत्पाद के लिए उपयुक्त हो, के साथ की जाएगी।

(iv) घरेलू व्यापार के मामले में यह धातु संदूषण, कीट नाशी जीवों और नाशकजीवमारों, संदूषण सूक्ष्म अपेक्षाओं, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाले विषैले पदार्थों के अवशिष्ट स्तर के संबंध में निर्बंधनों और खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, जीव-विष और अपशिष्ट) विनियम 2011 और खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य मिश्रण) विनियम, 2011 और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन अधिसूचित अन्य विनियमों के धीन यथा विनिर्दिष्ट अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी।

(v) निर्यात के मामले में यह भारी धातुओं, कीटनाशी जीवों की अपशिष्ट सीमाओं और कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग द्वारा अधिकथित अन्य खाद्य सुरक्षा मापदंडों या आयातकर्ता देश की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी।

3 बीज रहित किशमिश के श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड

अभिधान	परिमात्रा के आधार पर नमी का प्रतिशत (अधिकतम)	तने के टुकड़े/ कि.ग्रा (अधिकतम)	कैप-स्टेप/ 500 ग्राम (अधिकतम)	वजन के आधार पर अपरिपक्व किशमिश का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के आधार पर क्षतिग्रस्त किशमिश(शुष्क अंगूर) (अधिकतम)	वजन के आधार पर शुगर युक्त किशमिश (शुष्क अंगूर) (अधिकतम)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
विशेष	13.0	अनुपस्थित	20	2	1.0	5.0
मानक	14.0	2	25	3	1.5	10.0
साधारण	15.0	3	30	4	2.0	15.0

4. अन्य अपेक्षाएँ (1) बीज सहित किशमिश की स्थिति ऐसी होगी कि वह

(i) अपने गंतव्य स्थान पर संतोष जनक ढंग से पहुंचने के लिए यातायात और हैंडलिंग आदि की स्थिति का सामना सके।

(ii) बीज रहित किशमिश का भंडारण शुष्क और ठंडे स्थान पर किया जाएगा तथा साथ ही इसे स्वच्छ और स्वास्थ्यपरक दशा में रखा जाएगा।

स्पष्टीकरण .-

(क) तने का टुकड़ाः- शाखा का भाग या मुख्य तना

(ख) कैप-तनाः- 3 मी. मी. से अधिक लम्बाई वाला छोटा काष्ठीकय तना जो अंगूर को गुच्छे की शाखा के साथ जोड़ता है चाहे वे किशमिश से जुड़ा हो अथवा न जुड़ा हो।

(ग) अपरिपक्व या अविकसित किशमिशः- का अभिप्रायः ऐसी किशमिश से है ।

(i) जो अत्यधिक हल्के वजन की रसभरी होती हैं, शुगर युक्त टिशु कम होते हैं जिससे वह अधूरी विकसित दिखाई देती हैं ।

(ii) पूरी तरह कुम्हलाई हुई और वस्तुतः गूदा रहित होती हैं, और सख्त हो सकती हैं।

(घ) क्षतिग्रस्त किशमिशः- सूर्य की झुलसन, दाग-धब्बों, यांत्रिक चोट से प्रभावित किशमिश जिससे उसका रूप रंग, खाद्य गुणवत्ता और उसे सुरक्षित रखने की गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित होती है।

(ड़) शुगर युक्त किशमिशः- बाहर से अथवा अंदर से शुगर क्रिस्टल युक्त किशमिश । ये क्रिस्टल्स स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं और किशमिश के रूप-रंग को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं।

[फ. सं.- क्यू-11028/06/2012-मानक]

प्रशान्त कुमार स्वाईं, संयुक्त सचिव (विपणन)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2019

G.S.R. 132(E).—The following draft of the Agricultural Produce (Raisins Grading and Marking) Rules, 2019, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) is hereby published as required by the said section

for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public.

2. Objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the above said period shall be taken into consideration by the Central Government

3. Objections or suggestions, if any, in respect of the said draft rules, may forward to the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India, Directorate of Marketing and Inspection, Head Office, CGO Complex, NH - IV, Faridabad (Haryana) 121001.

DRAFT RULES

1. **Short title, application and commencement.**—(1) These rules may be called Agricultural Produce, (Raisins Grading and Marking) Rules, 2019.

(2) They shall apply to Raisins (seedless and with seed) obtained from the sound dried grapes of the varieties conforming to the characteristics of *Vitis vinifera* Linn. (but excluding currant types) processed in an appropriate manner into a form of marketable raisin with or without coating with suitable optional ingredients.

(3) They shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-**(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India.

(b) "Authorised packer" means a person or a body of persons who has been granted a certificate of authorisation to grade and mark Raisins in accordance with the grade standards and procedure prescribed under these rules;

(c) "Certificate of Authorisation" means a certificate issued under the provisions of the General Grading and Marking Rules, 1988 authorising a person or a body of persons to grade and mark Raisins with the grade designation mark;

(d) "General Grading and Marking Rules" means the General Grading and Marking Rules, 1988 made under section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937);

(e) "Grade designation mark" means the "Agmark Insignia" referred to in rule 5.

(f) "Schedule" means a Schedule appended to these rules.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 and General Grading and Marking Rules, 1988 shall have the same meaning as are assigned to them under that Act.

3. **Grade designations.**—The Grade designations to indicate the quality of Raisins shall be as set out in column I of Criteria for Grade designation of Schedule II and III.

4. **Quality. -** For the purpose of these rules, the quality of Raisins shall be as given in Schedule II and III.

5. **Grade designation mark.—**The grade designation mark shall consist of "AGMARK insignia" consisting of a design incorporating the certificate of authorization number, the word "AGMARK", name of commodity and grade designation resembling the design as set out in Schedule- I.

6. **Method of packing.—**(1) Raisins shall be packed in new clean and dried jute bags, cloth bags, poly woven bags with inner lining of food grade material or any biodegradable packaging materials, poly packs of food grade material or any other packaging material as approved by the Agricultural Marketing Adviser or any officer authorised by him in this behalf.

(2) The packing material shall be free from insect and/or fungal infestation and should not impart any toxic substance or undesirable odour or flavour to the product.

(3) Raisins shall be packed in pack sizes in accordance with the provisions of the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 made under the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and in accordance with the instructions issued by the Agricultural Marketing Adviser from time to time.

(4) Graded material of small pack sizes of the same lot/batch and grade may be packed in a master container with complete details thereon along with grade designation mark.

(5) Each package shall contain Raisins of the same type and of the same grade designation.

(6) Each package shall be properly and securely closed and sealed so as to disallow spilling.

7. Method of Marking.- (1) The grade designation mark shall be securely affixed to or printed on each package in a manner approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorized by him in this behalf in accordance with Rule 11 of the General Grading and Marking Rules, 1988.

(2) In addition to the grade designation mark, following particulars shall be clearly and indelibly marked on each package.

(a) Name of the Commodity

(b) Grade;

(c) Variety or trade name; (optional)

(d) Lot no.;

(e) Date of packing;

(f) Place of packing;

(g) Net weight;

(h) Name and address of the packer;

(i) Maximum retail Price (inclusive of all taxes);

(j) BEST BEFORE_____MONTH_____YEAR;

(k) any other particulars as may be specified under Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, Food Safety and Standards Act, 2006 or instructions issued by the Agricultural Marketing Adviser or any officer authorized by him.

(3) The ink used for marking on packages shall not contaminate the Raisins (Dried Grapes).

(4) The authorised packer, may, after obtaining prior approval of the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorized by him in this behalf, mark his private trade mark or trade brand on the graded packages provided that the same do not indicate quality other than that indicated by the grade designation mark affixed to the graded packages in accordance with these rules.

8. **Special conditions of certificate of authorization.—**(1) In addition to the conditions specified in sub-rule (8) of rule 3 of the General Grading and Marking Rules every authorized packer shall follow all instructions prescribed by Agricultural marketing Adviser from time to time;

(2) The authorised packer shall either set up his own laboratory as per prescribed norms or have access to an approved State Grading Laboratory or cooperative or association laboratory or a Private Commercial laboratory manned by a qualified chemist approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorized by him in this behalf in accordance with rule 9 of the General Grading and Marking Rules, 1988 for testing the quality of Raisins.

(3) The premises shall be maintained in hygienic and sanitary conditions with proper ventilations and well lighted arrangement. The personnel engaged in these operations shall be in sound health and free from any infectious, contagious or communicable diseases.

(4) The premises shall have adequate storage facilities with pucca floor and free from rodent and insect infestation.

(5) The authorised packer and the approved chemist shall observe all instructions regarding testing, grading, packing, marking, sealing and maintenance of records which may be issued by the Agricultural Marketing Adviser or any other officer authorised by him in this behalf from time to time.

SCHEDULE-I

(See rule 5)

(Design of Agmark insignia)

Name of Commodity……

Grade……

SCHEDULE –II

(See rule 3 and 4)

GRADE DESIGNATION AND QUALITY OF SEEDLESS RAISINS (DRIED GRAPES)

1. Seed less raisins shall be obtained from sound dried grapes (naturally seedless) of varieties conforming to the characteristics of *Vitis vinifera* Linn. which have been suitably treated or processed for human consumption.

2. Minimum Requirements:

(i) Seedless Raisins shall.-

(a) be free from extraneous matter such as stones, dirt, clay etc.

(b) be free from any foreign taste, odour and evidence of fermentation;

(c) have pleasant taste and flavour;

(d) be free from living insects, dead insects, insect fragments, mites, rodent contamination and mould growth;

(e) be free from any added colouring matter and have uniform colour;

(f) be properly cleaned and washed;

(g) be stemmed except for the form of cluster raisins;

(ii) Raisins may be bleached with sulpher-die-oxide provided the SO_2 content of the bleached product shall not exceed 750 ppm.

(iii) Raisins may be coated with one or more of the ingredients such as edible vegetable oils (to permit free flowing raisins), sucrose, invert sugar, dextrose, dried glucose syrup and honey, as may be appropriate to the product.

(iv) Domestic trade.- It shall comply with the restrictions in regard to residual levels of metal contaminants, insecticides and pesticides residues, microbial requirements, crop contaminants, naturally occurring toxic substances and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011 and Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011and various regulations covered under Food Safety & Standards Act-2006 for domestic trade.

(v) Export trade.- It shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission, or importing countries requirement for exports.

3. CRITERIA FOR GRADE DESIGNATION (for seedless Raisins)

TABLE

Designation	Moisture percent by mass (Max.)	Pieces of stem/kg. (Max.)	Cap-Stem/500gm. (Max.)	Immature raisin percent by weight (Max.)	Damaged raisins percent by weight (Max.)	Sugared raisins percent by weight (Max.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Special	13.0	Absent	20	2	1.0	5.0
Standard	14.0	2	40	4	1.5	10.0
General	15.0	4	50	6	2.0	15.0

4. Other requirements.- (i) The condition of the seedless raisins shall be as to enable it.-

(a) to withstand transport and handling

(b) to arrive in satisfactory condition at the place of destination.

(ii) Seedless raisins shall be stored in cool and dry place; maintained in a clean and hygienic condition.

Explanations.-

(a) Piece of stem - Portion of the branch or main stem.

(b) Cap-stem - Small woody stem exceeding 3 mm in length which attaches the grape to the branch of the bunch and whether or not attached to a raisin.

(c) Immature or Undeveloped Raisins - Refers to raisins that:

(i) are extremely light-weight berries, lacking in sugary tissue indicating incomplete development;

(ii) are completely shrivelled with practically no flesh, and may be hard.

(d) Damaged Raisins - Raisins affected by sunburn, scars, mechanical injury which seriously affects the appearance, edibility and keeping quality.

(e) Sugared Raisins - Raisins with external or internal sugar crystals which are readily apparent and seriously affect the appearance of the raisin.

SCHEDULE –III

(See rule 3 and 4)

GRADE DESIGNATION AND QUALITY OF RAISINS (DRIED GRAPES) WITH SEED

1. Raisins with seed shall be obtained from sound dried grapes (that posses seeds, which may or not be removed in processing) of varieties conforming to the characteristics of *Vitis vinifera* Linn. which have been suitably treated or processed for human consumption.

2. Minimum Requirements:

(i) Raisins with seed shall.-

(a) be free from extraneous matter such as stones, dirt, clay etc.

(b) be free from any foreign taste, odour and evidence of fermentation;

(c) have pleasant taste and flavour;

(d) be free from living insects, dead insects, insect fragments, mites, rodent contamination and mould growth;

(e) be free from any added coloring matter and have uniform colour;

(f) be properly cleaned and washed;

(g) be stemmed except for the form of cluster raisins;

(ii) Raisins may be bleached with sulpher-di-oxide provided the SO_2 content of the bleached product shall not exceed 750 ppm.

(iii) Raisins may be coated with one or more of the ingredients such as edible vegetable oils (to permit free flowing raisins), sucrose, invert sugar, dextrose, dried glucose syrup and honey, as may be appropriate to the product.

(iv) Domestic trade.- It shall comply with the restrictions in regard to residual levels of metal contaminants, insecticides and pesticides residues, microbial requirements, crop contaminants, naturally occurring toxic substances and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011 and Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011and various regulations covered under Food Saftey & Standards Act-2006 for domestic trade.

(v) Export trade.- It shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission, or importing countries requirement for exports.

3. CRITERIA FOR GRADE DESIGNATION (for Raisins with seed)

TABLE

Designation	Moisture percent by mass (Max.)	Pieces of stem/kg. (Max.)	Cap-Stem/500gm. (Max.)	Immature raisin percent by weight (Max.)	Damaged raisins percent by weight (Max.)	Sugared raisins percent by weight (Max.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Special	13.0	Absent	20	2	1.0	5.0
Standard	14.0	2	25	3	1.5	10.0
General	15.0	3	30	4	2.0	15.0

4. Other requirements.-(i) The condition of the Raisins with seed shall be as to enable it.-

(a) to withstand transport and handling

(b) to arrive in satisfactory condition at the place of destination.

(ii) Raisins with seed shall be stored in cool and dry place; maintained in a clean and hygienic condition.

Explanations.-

(a) Piece of stem - Portion of the branch or main stem.

(b) Cap-stem - Small woody stem exceeding 3 mm in length which attaches the grape to the branch of the bunch and whether or not attached to a raisin.

(c) Immature or Undeveloped Raisins - Refers to raisins that:

(i) are extremely light-weight berries, lacking in sugary tissue indicating incomplete development;

(ii) are completely shriveled with practically no flesh, and may be hard.

(d) Damaged Raisins - Raisins affected by sunburn, scars, mechanical injury which seriously affects the appearance, edibility and keeping quality.

(e) Sugared Raisins - Raisins with external or internal sugar crystals which are readily apparent and seriously affect the appearance of the raisin.

[F. No. Q-11028/06/2012-Std]

PRASANTA KUMAR SWAIN, Jt. Secy. (Marketing)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.02.21 22:35:01 +05'30'